मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मंत्रालय

:: आदेश ::

क्रमांक एफ / 10–5 / 2012 / सत्रह / मेडि–3 भोपाल, दिनांक 07.10.2014

राज्यशासन एतद द्वारा समसंख्यक आदेश दिनांक 22.09.2012 एवं हेल्थ केयर इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, 2012 के अनुक्रम में नगर निगम / नगर पालिका / नगर पंचायत क्षेत्र (इन्दौर को छोड़कर) स्वास्थ्य सेवा प्रदाय क्षेत्र के लिए निम्नानुसार विशेष पैकेज नीति निर्धारित करता है:–

1/ हेल्थ केयर इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, 2012 में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की परिभाषा को संशोधित कर 100 सुपर स्पेशलिटी बिस्तरों को भी मान्य किया जाए।

2/(अ) सुपर स्पेशलिटी अस्पताल

100 सुपर स्पेशलिटी बिस्तरीय अस्पताल के निर्माण हेतु 1 एकड़ तक,

200 सुपर स्पेशलिटी बिस्तरीय अस्पताल के निर्माण हेतु 2 एकड़ तक,

300 सुपर स्पेशलिटी बिस्तरीय अस्पताल के निर्माण हेतु 3 एकड़ तक,

400 सुपर स्पेशलिटी बिस्तरीय अस्पताल के निर्माण हेतु 4 एकड़ तक,

500 सुपर स्पेशलिटी बिस्तरीय या उससे अधिक बिस्तरीय अस्पताल के निर्माण हेतु 5 एकड़ तक,

शासकीय भूमि रियायती दर पर उपलब्ध कराई जाये।

(ब) शासकीय भूमि के मूल्य में नगरवार छूट निम्नानुसार रखी जाये :–

भोपाल नगर निगम क्षेत्र में 40%

जबलपुर, उज्जैन, ग्वालियर व अन्य नगर निगम या नगर पालिका या नगर पंचायत क्षेत्र (इन्दौर को छोड़कर) में 60%

(स) प्रशासकीय विभाग द्वारा पारदर्शी प्रकिया के माध्यम से भूमि आवंटन हेतु उपयुक्त निवेशक का चयन किया जाए।

(द) शासकीय भूमि के मूल्य में रियायत, भूमि के मूल्य को छोड़कर कुल परियोजना लागत की 25 % से अधिक नहीं होगी।

निरन्तर........2

(ई) आवंटित भूमि पर अस्पताल निर्माण का कार्य एक वर्ष में प्रारंभ करने की अनिवार्यता होगी व विलंब की दशा में भूमि का आवंटन स्वमेव निरस्त माना जाएगा व भूमि पुनः शासन में वेष्ठित हो जाएगी। आवंटन तिथि से तीन वर्ष की कुल अवधि में अस्पताल का संचालन प्रारंभ करना होगा।

(च) रियायती दर पर भूमि उपलब्ध कराने पर परियोजना के लिए पूंजीगत व अन्य अनुदान की पात्रता नहीं होगी।

(छ) अस्पताल के लिए रियायती दर पर भूमि उपलब्ध कराने पर जनरल वार्ड के लिए कुल बिस्तर क्षमता के 50 प्रतिशत बिस्तर आरक्षित रखने की अनिवार्यता रहेगी।

(ज) आवंटित भूमि का उपयोग किसी भी दशा में 'सुपर स्पेशलिटी अस्पताल' के संचालन अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जा सकेगा।

3/ सुविधाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु एन.ए.बी.एच. से अधिमान्यता प्राप्त करने की अनिवार्यता रखी जाए।

हेल्थ केयर इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, 2012 के अन्य बिन्दु यथावत रहेंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अरूण कुमार तोमर)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक एफ/10–5/2012/सत्रह/मेडि–दो
भोपाल, दिनांक 07.10.2014

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन।
2. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी/राज्यमंत्री जी, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।

निरन्तर....

3. प्रमुख सचिव, (समन्वय) मुख्य सचिव कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन।
4. शासन के समस्त विभाग।
5. प्रबंध संचालक, ट्रायफेक म.प्र.।
6. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र. भोपाल।
7. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय म.प्र. भोपाल।
8. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, म.प्र. भोपाल।
9. समस्त संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र.।
10. संचालक, संचालनालय चिकित्सा शिक्षा, म.प्र. भोपाल।
11. अधिष्ठाता, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, समस्त म.प्र.।
12. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें समस्त म.प्र.।
13. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, समस्त म.प्र.।
14. सिविल सर्जन एवं मुख्य अस्पताल अधीक्षक, समस्त म.प्र.।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,